

LATEHAR NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ति कर की सूचना।

Memo No. : 484394011019055047

Date : 01-10-2019

प्रभावी : 4 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री : Punam devi S/O LATE AJAY PRASAD,
मोहल्ला : By pass road dharampur latehar LATEHAR
LATEHAR , 829206
9525454106

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं* - 0090000455000M0 वार्ड सं* 9 हुआ है. आपके स्व* निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रूप* निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

| स्व-निर्धारित कर की सूचना | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| क्रम सं* | Particulars | Amount (In Rs.) |
| 1. | गृह कर | 40.00 |
| 2. | जल कर | 0.00 |
| 3. | शौचालय कर | 0.00 |
| 4. | विजली कर | 0.00 |
| 5. | अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण) | 0.00 |
| कुल राशि (प्रति तिमाही) | | 40.00 |



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, LATEHAR NAGAR PANCHAYAT Website, www.jharkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के अलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- LATEHAR NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होलिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.